भारत में घरेलू कामगार महिलाओ को प्रभावित करना

Rashmi Khobragade, Research Scholar, Department of Sociology, JRNU, Udaipur (Rajasthan)
Dr. Purnima Saini, Associate Professor, Department of Sociology, JRNU, Udaipur (Rajasthan)

प्रस्तावना

नगरीय परिवेश की बात हो या ग्रामीण परिवेश की हर जगह महिलाओं ने घरेलू क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। नगरीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण कामगारों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ सख्त मेहनत करते हुए अर्थोपार्जन करती हैं, जैसे–अन्न बोना, खेत में निराई करना, पशुपालन करना, सिलाई करना इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घरेलू कार्य गृहस्वामिनी द्वारा ही निपटाए जाते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में महिलाएँ कार्यालयों आदि में कार्यशील रहती हैं अतः उन्हें घरेलू कार्यों को निपटाने के लिए मदद चाहिए होती है और इसलिए वे घरेलू कामगार रख लेते हैं।[3] ये घरेलू कामगार किसी एक व्यक्ति या पूरे परिवार के लिए अनेकों प्रकार के घरेलू कार्य संपन्न करते हैं, जैसे–बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, झाडू–पोंछा, खाना बनाना, बच्चों व घर के बुजुर्गों की देखभाल करना, बागवानी, बाजार से सब्जी–फल आदि खरीदना, मालिश करना इत्यादि। कुछ घरेलू कामगार अपने मालिक के घर में रहते हैं और कुछ केवल सीमित घण्टों हेतु ही कार्य करते हैं। अधिकतर घरेलू कामगार दयनीय दशा में रहते हैं तथा इन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं व प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ता है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

सुन्दर (1981)[4] ने कडगोधरा (Kadgodhra)

में महिला दुग्ध उत्पादकों के एक अध्ययन में पाया कि यह गुजरात के काइरा जिले का प्राथमिक मिल्क कोपरेटिव था। यह केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला पहला मिल्क कोपरेटिव था। अध्ययन मे इस कोपरेटिव का गाँव की महिलाओं के जीवन पर प्रभाव को देखा गया। यह पाया गया कि इसे चलाने वाली महिलाएँ मैनेजर की भूमिका को बहुत प्रभावी तरीके से निभा रही थी तथा ग्रामीण समाज में महिला व पुरूष के मध्य शक्ति संतुलन में आने वाला परिवर्तन दिखाई दे रहा था। लेखक ने पाया कि आर्थिक गतिविधि में सक्रिय भूमिका निभाने से महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार आया तथा साथ ही पुरूषों का महिलाओं की क्षमताओं के संबंध में जो दृष्टिकोण था, उसमें भी सुधार आया।

बब्बू, बी.जी. और पंवार, एल (1984)[6]; ने हरियाणा के घरेलू कामगारों का अध्ययन किया। यह अध्ययन इस बात पर विशेष रूप से आधारित था कि वे किस प्रकार से एक दयनीय स्थिति में जीवन यापन करते हैं। उनमें अनेक प्रकार की समस्याएँ पाई गई, जैसे–कम आय, काम के अधिक घण्टे, स्वतंत्रता की कमी, उनके कार्य को निम्न दृष्टि से देखना आदि। गृहस्वामी तथा कामगारों के मध्य आपसी समझ की कमी के कारण घरेलू कामगारों के पारिवारिक संबंध तनावपूर्वक हो गए तथा उनके बच्चे भी उपेक्षित जीवन बिता रहे थे। अशिक्षा, निर्धनता, मोल–भाव करने की क्षमता कम होने के कारण वे संगठित भी नहीं हो पा रहे थे।

प्रसाद (1988)[13],

इन्होंने बिहार की महिला श्रमिकों पर एक अध्ययन किया और बताया कि ठेकेदारों, मालिकों तथा सहकर्मियों द्वारा इनका लैंगिक शोषण किया जाता था। उनकी मजबूरी थी कि वे यह कार्य छोड़ भी नहीं सकती थीं तथा उन्हें मज़बूरीवष शोषण की चरम सीमा से भरी कार्यदशाओं में कार्य करना पड़ता था। बलात्कार तथा छेड़खानी सामान्य रूप से जारी थे। वे अगर इन सबसे बचना भी चाहती थी तो यह हमेशा सभंव नहीं होता था कि वे वापस अपने गाँव जा सके। इनमें से बहुत सी महिलाएँ वेश्यावृत्ति अपनाने पर मजबूर हो जाती थीं।

नगरीय असंगठित क्षेत्र में महिला कामगार

नगरीय असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की स्थिति जानने से पूर्व असंगठित क्षेत्र के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। श्रम बाज़ार को औपचारिक व अनौपचारिक अथवा संगठित या असंगठित क्षेत्र इन दो भागों में बाँटा जाता है।

1973 ई. में कीथ हार्ट ने 'अनौपचारिक क्षेत्र' (Informal sector) शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ यह था कि, ''नगरीय श्रम भक्ति का वह भाग जो व्यवस्थित श्रम बाजार के अतिरिक्त था।''[9] इस क्षेत्र में विशेषज्ञता एव कुशलता काफी कम पाई जाती है तथा श्रम–विभाजन भी काफी सीमित होता है। इस क्षेत्र के कारीगरों को कोई वैधानिक सुरक्षा नहीं मिलती। प्रायः असंगठित क्षेत्र को असुरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है। भारत में करीब 30 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैंऔर यह संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र में असंगठित कामगार कार्य करते हैं । श्रम शक्ति का 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग तथा राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 50 प्रतिशत यह क्षेत्र प्रदान करता है।

भारत में घरेलू महिला कामगारों की प्रकृति

घरेलू कामगार महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। वे अधिकतर निम्न वेतन वाले कार्यों में संलग्न हैं, जहाँ उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। वेतन दिए जाने में जो लिंगभेद किया जाता है, वह तो और भी असहनीय है। इस वर्ग का शोषण विभिन्न रूपों में होता है, एक तो अनियमित काम के घण्टे एवं बहुत कम वेतन, वे अपने काम को जीवनभर ढोते ही रहते हैं, उसमें उन्हें कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। पुरूषों के समान कार्य करने के बावजूद उन्हें यह भेदभाव जीवन पर्यंत सहन करना ही पड़ता है। कहीं–कहीं तो ऐसा देखा गया है कि पूरे परिवार का आर्थिक भार इस वर्ग की महिलाओं के कंधों पर ही होता है, जिसे वे अपनी बहुत ही कम आय द्वारा चलाने के लिए मजबूर होती हैं। महिलाएँ प्रायः उसी कार्य को चुनती हैं, जो कि उनके माता–पिता या संबंधी करते आ रहे हैं।

अनुसंधान पद्धति

अध्ययन की तार्किकता (Rationality of the Study)

नगरीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण कामगारों की संख्या अधिक है। नगरीय क्षेत्रों में ये आस–पास के गाँवों से प्रवास कर नगरों में बस्तियाँ बना कर रहते हैं। इन बस्तियों में रहनेवाली अधिकाँश महिलाएँ घर–घर जाकर कार्य करने को विवश होती है। इन घरेलू कामगार महिलाओं को घर, समाज तथा कार्यक्षेत्र में दिन–प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये समाज के निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं तथा इनकी सामाजिक, पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति काफी निम्न स्तरीय होती है। इनकी आवासीय स्थिति का वातावरण भी इतना दूषित होता है कि जिससे इनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इनके आवासीय क्षेत्र रहने लायक भी नहीं होते तथा वहाँ रहना स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा सामान्य सुख – सुविधाओं के लिहाज से बहुत खतरनाक व हानिकारक माना जाता है। भारत में करीब 90 प्रतिशत घरेलू कामगार या तो महिलाएँ हैं या फिर बच्चे हैं, जिनकी उम्र 12 वर्ष से 75 वर्ष के मध्य है।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्य हैं–

1. घरेलू कामगार महिलाओं की पारिवारिक स्थिति एवं संरंचना का अध्ययन ।
2. घरेलू कामगार महिलाओं की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन।
3. घरेलू कामगार महिलाओं की सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का अध्ययन।
4. घरेलू कामगार महिलाओं का कार्य चुनने के पीछे छिपे कारणों का अध्ययन।
5. घरेलू कामगार महिलाओं की कार्यक्षेत्र संबंधी समस्याओं का अध्ययन।

विश्लेषण एवं निर्वचन

इस अध्ययन मे घरेलू कामगार महिलाओं के पति के व्यवसाय को समाविष्ट किया गया है। प्रस्तुत सारणी में इसे दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक
उत्तरदाताओं के पति के व्यवसाय संबंधी सारणी

	पति के व्यवसाय का प्रकार		प्रतिशत
1.	मज़दूरी	103	51.5 %
2.	ऑटो चालक	15	7.5 %
3.	घरेलू कार्य	1	0.5 %
4.	रिक्शा चालक	20	10 %
5.	ठेला लगाना	1	0.5 %
6.	पेन्टर, ड्राइवर, लुहार	42	21 %
7.	अनुत्तरित	18	9 %
	कुल योग	**200**	**%**

उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन में ऐसी घरेलू कामगार महिलाओं की संख्या 103 हैं, जिनके पति मज़दूरी करते हैं तथा उनका प्रतिशत 51.5 है। 15 महिलाओं (घरेलू कामगार) के पति ऑटो चालक हैं तथा उनका प्रतिशत 7.5 है। 1 घरेलू कामगार महिला के पति ऐसे है जो किसी के घर में काम करते हैं, जिनका प्रतिशत 0.5 है। 20 घरेलू कामगार महिलाएँ ऐसी हैं, जिनके पति रिक्शा चालक हैं तथा इनका प्रतिशत 10 है। 1 घरेलू कामगार महिला के पति ठेला लगाने का काम करते है तथा उनका प्रतिशत 0.5 है। 42 घरेलू कामगार महिलाओं के पति अन्य कार्य करते हैं जैसे पेंटिंग का, ड्राइविंग का, प्लम्बर का, लुहार का, ऑफिस में चपरासी आदि का काम करते हैं तथा इनका प्रतिशत 21 % है। 18 ऐसी अनुत्तरित घरेलू कामगार महिलाओं को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने अपने पति का व्यवसाय नहीं बताया हैं। इसमें विधवा व परित्यक्ता महिलाएँ सम्मिलित है लेकिन कुछ विधवा व परित्यक्ता महिलाएँ ऐसी भी थी जिन्होंने की अपने पूर्व पति या मृत पति के व्यवसाय को बताया है।

प्रस्तुत अध्ययन में ऐसी घरेलू कामगार महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है जिनके पति मज़दूरी का काम करते हैं व जिनका प्रतिशत 51.5 है। सबसे कम ऐसी घरेलू कामगार महिलाएँ हैं जिनके पति घर का काम व ठेला लगाने का काम करते हैं तथा इनका प्रतिशत 0.5 % है।

शोध सारांष, निष्कर्ष एवं नीति क्रियान्वयन

प्राक्कल्पनाओं का सत्यापन

घरेलू कामगार महिलाओं के अधिक कार्यभार के कारण उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत शोध की यह प्रथम प्राकल्पना है तथा इसका पूर्ण विवरण चतुर्थ अध्याय में सारणी क्रमांक 4.5.3 में दिया गया है। उपरोक्त प्राक्कल्पना दिए गए तथ्यों के आधार पर स्वीकृत की गई है।

- आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण घरेलू कामगार महिलाओं के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं। प्रस्तुत शोध की यह द्वितीय

प्राक्कल्पना है तथा इसका पूर्ण विवरण चतुर्थ अध्याय की सारणी में दिया गया है। उपरोक्त प्राक्कल्पना दिए गए तथ्यों के आधार पर स्वीकृत की गई है।

- घरेलू कामगार महिलाओं की कार्यशीलता उनके तनावों में वृध्दि करती हैं। प्रस्तुत शोध की यह तृतीय प्राक्कल्पना है तथा इसका पूर्ण विवरण चतुर्थ अध्याय में सारणी में दिया गया है। उपरोक्त प्राक्कल्पना दिए गए तथ्यों के आधार पर स्वीकृत की गई है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. Neetha, N. (2008) : “Regulation domestic work”, Economic and Political Weekly, Vol. 43, No. 37, September 13.
2. Neetha, N. (2009) : “Placement agencies for domestic workers: Issues of regualation and promoting decent work”, prepared for international labour organisation, New Delhi and presented at the National Consultation with the civil society on Domestic workers issues, 15-16 July.
3. पांडे, उग्रसेन (2011) : ''आधुनिक समाज में नारी'', हिंदी बुक सेटर, नई दिल्ली।
4. Papola, T.S. (1981) : “Urban Informal Sector in a Developing Economy”, Viksh Publishing House, New Delhi.
5. Parsons, Talcott (1952) : “The Social System”, The Free Press, Glencoe, Illinois.
6. Patel B.B. (ed.) (1993) : “ Social Security for unorganised labour”, Oxford & IBH publishing, New Delhi.
7. Poudyal, Jyotsna (2011) : “The Domestic workers convention: Turning New Global Labour Standards into change on the Ground, Human Right watch.
8. Pryce, Shirley (2010) : “Decent work for household and domestic workers in Jamaica”. ILO conference on domestic workers.
9. Raghurm, Parvati (2001) : “Caste and Gender in the organization of paid domestic work in India”, Work Employment and Society Vol. 15, No. 3.
10. Rajgopalan, S. and Bhatnagar, Meenu (2008) : “Social Security for the unorganized sector: Challenges and opportunities," ICFAI University Press, Hyderabad.
11. Ramanamma (1969) : "Graduate Employed Women in an Urban Setting," Dasture Ramchandra and Company, Pune.
12. Ramirez-Machado, Jose Maria (2003) : "Domestic Work, Conditions of Work and Employment: A Legal Perspective," ILO, Geneva.
13. Ranjan, Kumud (1993) : "Women and Modern Occupation in India," Illahabad, Chugh Publications.
14. Sahaya, S. N. (1985) : "Women in Changing Society: A Bibliographical Study," Mittal Publications, Delhi.
15. Sandra, Vaz. (2008) : "Editorial Domestic Workers," Link Publication of the Domestic Workers Movement, Vol. 16, No. 2, June.
16. School of Social Work : "A National Socio-Economic Survey of Domestic Works Report." Roshini Nilaya, Research Department, Mangalore (Undated).